न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 62/2025 (उदयपुर डिक्री)

दोला पिता मोजीया मेघवाल, निवासी ग्राम कमोल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सवागी पत्नी स्वर्गीय वेना उर्फ वरदा मेघवाल, निवासी ग्राम कमोल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमली पुत्री स्वर्गीय वेना उर्फ वरदा मेघवाल पत्नी मोहनलाल मेघवाल, निवासी ग्राम कमोल, हाल निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गणेशी पुत्री स्वर्गीय वेना उर्फ वरदा मेघवाल पत्नी सोहनलाल मेघवाल, निवासी ग्राम कमोल, हाल निवासी बोखाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. लक्ष्मीलाल पुत्र स्वर्गीय वेना उर्फ वरदा मेघवाल, निवासी ग्राम कमोल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा— 223 राजस्थान काश्त. अधि.— 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दि. 22.07.2021 प्रकरण संख्या 60/2021

———/———

उपस्थित :— 1— श्री महेन्द्र पुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री डालचन्द मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1 से 4

———::———

निर्णय **दि. [illegible]-08-2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:16 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक [illegible] धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जरगा आम्बा एवं मौजा कमोल, तहसील गोगन्दा में वादीगण एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व की वाद पत्र की कलम संख्या 1 (अ) वर्णित आराजी नंबर 460, 461, 499, 502, 505, 536, 539, 545, 546, 632, 633, 652, 667 कुल किता 13 रकबा 0.8050 हैक्टर, कलम संख्या 1 (ब) वर्णित आराजी नंबर 2403, 2407, 2858, 2859, 2860 कुल किता 5 रकबा 0.8500 हैक्टर तथा कलम संख्या 1 (स) वर्णित आराजी नंबर 885/761 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है, किन्तु उक्त आराजियात का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की जमीन हड़पना चाहते हैं तथा दखलन्दाजी करते हैं। अतः उपरोक्त दर्ज हिस्से अनुसार विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 22–07–2021 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–05–2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री डालचन्द मेघवाल उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र पुरी गोस्वामी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की उपस्थिति बताकर निर्णय व डिक्री पारित की है, जबकि अपीलान्ट उस दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं था। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक [illegible] को तब हुई जब रेस्पोडेन्टगण ने वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती [illegible] घुसकर लड़ाई–झगड़ा किया। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:16 IST
Reason: SelfAttested

गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22–07–2021 अनुसार सहमति से डिक्री जारी होने का अंकन है, किन्तु आदेशिका पर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं होकर गुलाबी बाई के हस्ताक्षर हैं, जबकि गुलाबी बाई प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। दिनांक 16–04–2025 की आदेशिका अनुसार अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से वकालत पत्र प्रस्तुत कर प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। दिनांक 16–04–2025 से पूर्व अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रारम्भिक की डिक्री की पालना में मौके पर कोई नहीं आया तथा आराजी नंबर 632 व 633 पर अपीलान्ट के मकान बने हुए हैं। उक्त सम्पूर्ण भूमि में दो कुंए बने हुए हैं, जिस पर आने जाने का रास्ता भी छोड़ा जाना आवश्यक है, जिसको भी अनदेखा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की सहमति लिखते हुए बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है, जबकि उस दिन अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित ही नहीं था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:16 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय पारित करते

हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

9. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22–07–2021 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर बंटवारे हेतु सहमति दिये जाने का कथन अंकित है, किन्तु उक्त सहमति बाबत् उसके कोई हस्ताक्षर आदेशिका पर नहीं है, बल्कि गुलाबी बाई पत्नी दोला के हस्ताक्षर हैं, जबकि गुलाबी बाई न तो विवादित भूमि की खातेदार है तथा न ही प्रकरण में पक्षकार है तथा न ही किसी पक्षकार अथवा अधिवक्ता द्वारा गुलाबी बाई की पहचान की गयी है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–07–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 06–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

6.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:16 IST
Reason: SelfAttested